अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

98/2020/225 महेन्द्र सिंह VS सूरजसिंह वगै०

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2020/02098	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री मनोज कुमार एड० श्री मोहनपाल सिंह	

24.8.20

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम हेतु पेश हुई । अपीलांट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 12.6.2018 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष हस्तगत अपील दिनांक 26.6.2020 को पेश की गई । अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया गया जिस पर दिनांक 2.7.2020 को अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 3.7.2020 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित कर विवादित आराजियात की आगामी पेशी दिनांक 27.7.2020 तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये । न्यायालय हाजा के उक्त अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी टी0ए0 एक्ट संख्या 2501/2020/अजमेर बउनवान सूरजसिंह व अन्य बनाम महेन्द्रसिंह व अन्य पेश की गई जिसे मान0 राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 27.7.2020 द्वारा निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर निर्णित की जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.7.2020 निरस्त करते हुए आदेशित किया कि आदेश में किये गये विवेचन अनुसार पक्षकारान को सुनकर सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु को तय कर अपील का दो माह में निस्तारण करे। मान0 मण्डल के उपरोक्त निर्देशों की पालना में उभयपक्ष अभिभाषकगण की धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस सुनी गई ।

विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथनों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार में प्रकरण संख्या 47/2017 में आदेश पारित कर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसमें विधिक के तथ्यों के महत्वपूर्ण बिन्दु विचाराधीन हैं । प्रार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत है तथा राजकार्य से अक्सर बाहर आता जाता रहता है । इसके अतिरिक्त प्रार्थी/अपीलांट की पत्नि मानसिक रूप से बीमार रहने से प्रार्थी अपनी पत्नि के ईलाज हेतु मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थानों पर झाड़ा-फूंक करवाने में लगा रहता है जिससे वह अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका तथा अधी0न्याया0 के प्रश्नगत आदेश दिनांक 12.6.2018 की प्रार्थी को जानकारी नही हो सकी थी । अभी हाल ही में दिनांक 24.6.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर तामीरात किये जाने तथा नीवें खुदवाये जाने पर मना किये जाने के बावजूद नहीं मानने पर दिनांक 25.6.2020 को पुलिस में शिकायत की गई जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज होना जाहिर किया गया । तत्पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अपने अधिवकत से संपर्क कर आदेश की जानकारी प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में जानबूझकर किसी प्रकार का विलंब नहीं किया गया है वरन् परिस्थितिवश प्रार्थी अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका था । यदि अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य नहीं किया गया तो अपीलांट के न्याय प्राप्ति से वंचित रहने की पूर्ण संभावना है । जहां प्रकरण में पक्षकारान के हित निहित हो वहां प्रकरण को तकनीकी आधार पर निर्णित करने के बजाय गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अजं अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

98/2020/225 — महेन्द्र सिंह बनाम सूरजसिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए

सोमेन्द्र बाला 2020/00098

श्री मनोज कुमार एड० अपी० श्री मोहनपाल सिंह रेस्प०

लगातार

अपील अंदर मियाद शुमार की जावे तथा रेस्पो० को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों के समर्थन में आर०आर०टी० 2016 (2) पेज 1147, आर०बी०जे० 1999 पेज 426, आर०आर०डी० 2015 पेज 497, आर०आर०टी० 2003 पेज 1282, आर०बी०जे० 2004 पेज 606, आर०एल०डब्ल्यू० 2005 पेज 449 राज०, आर०आर०टी० 2008 (2) पेज 1183, आर०आर०टी० 2002 (1) पेज 648 हाई कोर्ट, आर०आर०डी० 1998 पेज 319, आर०आर०टी० 2011 पेज 602, आर०आर०टी० 2004 (2) पेज 758, आर०आर०डी० 1989 पेज 45, आर०आर०डी० 1994 पेज 606, आर०आर०डी० 1979 पेज 110, आर०आर०टी० 2006 (2) पेज 1082, आर०बी०जे० 2006 पेज 198, आर०बी०जे० 2004 पेज 286, आर०आर०टी० 2005 पेज 17 एवं आर०बी०जे० 2006 पेज 397 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

विद्वान वकील रेस्पो० संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में सरासर व झूंठे व मनगढ़ंत कथन अंकित किये है क्योंकि उक्त तथ्यों की ताईद में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्यों अपीलांट ने पेश नहीं किये है । अधी०न्याया० द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति एवं रजामंदी के आधार पर लोक अदालत कैम्प बडलिया में आदेश दिनांक 12.6.2018 पारित किया है जिसकी फद अहकाम पर स्वंय प्रार्थी/अपीलांट महेन्द्रसिंह ने हस्ताक्षर किये है । इस प्रकार आदेश दिनांक 12.6.2018 की जानकारी प्रारंभ से प्रार्थी महेन्द्रसिंह को रही है इसके बावजूद अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील 2 वर्ष की मियाद बाहर पेश की गई है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में यह अंकित नहीं किया है कि कौन से अप्रार्थी द्वारा मौके पर तामीरात करवाई जा रही है तथा किस अप्रार्थी द्वारा आदेश दिनांक 12.6.2018 के बाबत् अपीलांट को बताया गया है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में विलंब के संबंध में उचित एवं संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किये है जबकि अपीलांट को विलंब के उचित संतोषप्रद कारण अंकित करना आवश्यक है। अपीलांट अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि० को दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से मियाद बिन्दु पर खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में विद्वान वकील रेस्पो० ने आर०आर०डी० 1999 पेज 389, डी०एन०जे० 2016 (1) पेज 201, आर०आर०टी० 2001 (1) पेज 614, आर०आर०टी० 2015 (1) पेज 232, आर०आर०डी० 1999 पेज 152, 362, आर०आर०डी० 2008 पेज 716, आर०आर०डी० 1992 पेज 364 एवं आर०आर०डी० 1995 पेज 456 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

हमनें उभयपक्ष अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी०न्याया० के समक्ष अपीलांट/प्रार्थी द्वारा वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज०काश्त०अधि० पेश किये जाने पर अधी०न्याया० ने पत्रावली लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार ग्राम बडलिया में रखकर आदेश दिनांक 12.6.2018 को प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अधी०न्याया० के उक्त

लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

98/2020/225 महेन्द्र सिंह V/s सूरजसिंह वगै

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर 2020/00098	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	सूर्यमित्र लाल श्री मनोज कुमार एड. अपील प्रोसेस रेस्प	
लगातार	आक्षेपित आदेश के विरूद्ध अपीलांटस ने न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 26.6.2020 को पेश की है जो लगभग 2 वर्ष के विलंब उपरांत पेश की गई है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वंय के राजकीय सेवा में कार्यरत होने तथा पत्नि की मानसिक बीमारी के कारण झाड़ा–फूंक ईलाज में रहने से अधी0न्याया0 में नियुक्त अधिवक्ता से संपर्क नहीं करने के कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकने का कारण अंकित किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 के आदेश दिनांक 12.6.2018 की आदेशिका/आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त दिनांक को पत्रावली लोक अदालत कैम्प न्याय आपके द्वार ग्राम बडलिया में रखकर आदेश दिनांक 12.6.2018 को प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । उक्त आदेशिका पर अप्रार्थी सूरजसिंह, रामचंद्र एवं स्वंय अपीलांट महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर है । इसलिये अपीलांट का यह कथन कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को दिनांक 24.6.2020 को अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर तामीरात कराये जाने पर हुई किया गया कथन उचित प्रतीत नहीं होता है । इसके अतिरिक्त अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है उनके संबंध में भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये जिससे यह साबित हो कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं थी तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणों से व्यस्तता के कारण अपने अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका था। हम विद्वान वकील रेस्पो0 के इस कथन से सहमत है कि अपीलांट को विलंब के दिन–प्रतिदिन के विलंब के संबंध में ठोस एवं संतोषप्रद कारण अंकित करना आवश्यक है । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । आर0आर0डी0 2008 पेज 716 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " अपील को समयावधि में दायर न करना एक घोर लापरवाही है, जिसके कारण दूसरे पक्षकार को उसके हक से वंचित करना न्याय संगत नहीं माना जा सकता है । परिसीमा अवधि की धारा 5 का फायदा देने से पहले न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह अपील पेश करने में जो देरी हुई है, उसका स्पष्टीकरण सही व विश्वास योग्य है ।" इसी प्रकार आर0आर0डी0 1992 पेज 364 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि " Applicant not coming to court with clean hands cannot claim indulgence of court for condoning delay " हस्तगत प्रकरण में अपीलांट महेन्द्रसिंह स्वंय अधी0न्याया0 के समक्ष आदेश दिनांक 12.6.2018 को उपस्थित था जिसकी पुष्टि अधी0न्याया0 की आदेशिका पर महेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर से होती है । इस प्रकार अपीलांट ने हस्तगत अपील तथ्य छिपाकर मियाद बाहर पेश किया जाना प्रकट होता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांटस को अपीलाधीन आदेश की प्रारंभ से जानकारी होना दस्तावेजी साक्ष्यों से पूर्णतया स्पष्ट है इसके बावजूद अपीलांटस द्वारा जानबूझकर अपील विलंब से पेश की गई है तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 में विलंब के ठोस एवं संतोषप्रद कारण भी अंकित नहीं किये है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र	लगातार

अजमेर

अजं अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

94/2020/225 महेन्द्र सिंह vs सुरजसिंह

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	गोविन्द लाल श्री मनोज कुमार एड. अपी. श्री मोहनपाल सिंह / वि.पु. 2020/00098	
लगातार	धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है तथा अपील मियाद बाहर पेश किये जाने से मियाद प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 खारिज योग्य पाया जाता है । अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम खारिज होने से अपील मियाद बिन्दु पर खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । आदेश आज दिनांक 24.08.2020 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । 24/8/2020 राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	